रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 8, 2003/वैशाख 18, 1925

No. 214] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 8, 2003/VAISAKHA 18, 1925

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2003

सा.का.नि. 385(अ).—अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 के अधिनियम संख्या 61) की धारा 3 की उप धारा (1क) के साथ पठित, उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य-सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा, अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-प्रसुविधाएँ) नियमावली, 1958 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम, अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-प्रसुविधाएँ), संशोधन नियम, 2003 है।

(2) अन्यथा किए गए प्रावधान को छोड़कर, ये नियम, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-प्रसुविधाएँ), नियमावली, 1958 (इसके पश्चात् उक्त नियमावली के रूप में उल्लिखित) में, नियम 6 के उप नियम (i) में टिप्पणी 1 में, "तीन सौ पचहत्तर रुपए" शब्द को "एक हजार दो सौ पचहत्तर रुपए" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।

3. उक्त नियमावली में, नियम 9 के उप नियम (i) के परन्तुक में "वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों" शब्दों को "विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वित्त, अर्थशास्त्र, विधि अथवा अन्य सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर अध्ययन" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।

4. उक्त नियमावली के नियम 19 ख ख में,—

(i) खण्ड (क) में, "12000", अंकों को "पच्चीस हजार" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए;

(ii) खण्ड (ख) में "30000", अंकों को "साठ हजार" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए;

(iii) टिप्पणी 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणी, मई 30, 2000 से अंत:स्थापित की गई मानी जाए, अर्थात् :—

"टिप्पणी 4: किसी सदस्य की मई 30, 2000 से पहले मृत्यु हो जाने के मामले में, अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-प्रसुविधाएँ) संशोधन-नियमावली, 2003 के आरंभ से पहले, उपर्युक्त (क) और (ख) शर्तों में यथाविनिर्दिष्ट धनराशि की दर, लागू की जाए।"

5. उक्त नियमावली में, नियम 22 ख के उप-नियम (3) में,

(क) परन्तुक के खण्ड (ख) को निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :—

"(ख) (i) यदि ऐसे एक से अधिक बच्चे हों जो मानसिक रोग अथवा मानसिक नि:शक्तता से ग्रस्त हों अथवा जो शारीरिक रूप से अपंग अथवा नि:शुक्त हों तो कुटुम्ब-पेंशन का भुगतान उनके जन्म के क्रम में किया जाए और उनमें छोटे बच्चों को कुटुम्ब-पेंशन उससे ठीक बड़े बच्चे के अपात्र हो जाने के बाद ही दी जाए";

(ख) (ii) यदि कुटुम्ब-पेंशन जुड़वाँ बच्चों को देय हो तो ऐसे बच्चों को यह पेंशन, नियम 22ख के उप नियम (4) के खण्ड (घ) में यथाविनिर्दिष्ट तरीके से दी जाए";

(ख) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(च) यदि बच्चा मानसिक नि:शक्ता से ग्रस्त हो तो, कुटुम्ब-पेंशन सेवा के सदस्य द्वारा नामित व्यक्ति और कोई नामांकन नहीं होने के मामले में, सेवा के सदस्य के पति/पत्नी द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाए";

(ग) मद (ii) में, उप नियम 4 के खण्ड (क) में, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि यदि विधवा के कोई बच्चा नहीं हो तो, कुटुम्ब-पेंशन में उसका हिस्सा व्यपगत नहीं हो, बल्कि कुटुम्ब-पेंशन अन्य विधवाओं को एक से हिस्सों में दी जाए अथवा यदि ऐसी कोई एक ही विधवा हो तो उसे पूर्ण कुटुम्ब पेंशन दी जाए";

(घ) उप नियम 4 में, खण्ड (ख) के बाद निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि ऐसे बच्चे अथवा बच्चों अथवा विधवा अथवा विधवाओं को देय कुटुम्ब-पेंशन के अथवा हिस्सों का भुगतान करना बंद कर दिए जाने पर, ऐसा हिस्सा अथवा हिस्से व्यपगत नहीं हों, बल्कि कुटुम्ब-पेंशन का ऐसा हिस्सा अथवा उसके ऐसे हिस्से को अन्यथा पात्र विधवा अथवा विधवाओं को अथवा बच्चे अथवा बच्चों को एक से हिस्सों के रूप में दिया जाए अथवा यदि केवल एक ही विधवा अथवा एक ही बच्चा हो तो ऐसी विधवा अथवा बच्चे को पूर्ण कुटुम्ब-पेंशन दी जाए";

(ङ) खण्ड (ख) के पश्चात् उप नियम 4 में निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किए जाए, अर्थात् :—

"(ग) जिन मामलों में, सेवा के दिवंगत सदस्य की कोई विधवा जीवित हो परन्तु, उसकी तलाकशुदा पत्नी अथवा पत्नियों से कोई पात्र बच्चा अथवा बच्चे हों, तो पात्र बच्चा अथवा बच्चे कुटुम्ब-पेंशन के उस हिस्से के हक़दार होंगे जो सदस्य की मृत्यु के समय, तब उसकी/उनकी माता को मिला होता जबकि उसे तलाक नहीं दे दिया गया होता :

परन्तु यह कि, ऐसे बच्चे अथवा बच्चों अथवा विधवा अथवा विधवाओं को देय कुटुम्ब-पेंशन के हिस्से अथवा हिस्सों का भुगतान बंद कर दिए जाने पर ऐसा हिस्सा अथवा हिस्से व्यपगत नहीं हो, बल्कि कुटुम्ब-पेंशन का ऐसे हिस्से अथवा उसके ऐसे हिस्सों को अन्यथा पात्र अन्य विधवा अथवा अन्य विधवाओं को और अन्य बच्चे अथवा अन्य बच्चों को एक से हिस्सा के रूप में दिया जाए अथवा यदि केवल एक ही अन्य विधवा अथवा एक ही अन्य बच्चा हो तो ऐसी अन्य विधवा अथवा अन्य बच्चे को ही पूर्ण कुटुम्ब-पेंशन दी जाए ;

"(घ) जहाँ कुटुम्ब-पेंशन, जुड़वाँ बच्चों को देय हो, वहाँ यह पेंशन ऐसे बच्चों को बराबर-बराबर हिस्सों के रूप में दी जाए :

परन्तु यह है कि जब कोई ऐसा एक बच्चा कुटुम्ब-पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं रहे तो उसका हिस्सा अन्य बच्चे को दिया जाए तथा जब उनमें से दोनों ही बच्चे कुटुम्ब-पेंशन के पात्र नहीं रहे तो कुटुम्ब-पेंशन का भुगतान अगले पात्र एक बच्चे अथवा जुड़वाँ बच्चों को दिया जाए";

(च) उप नियम (5) में, खण्ड (iii) को निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(iii) बच्चों को कुटुम्ब-पेंशन का भुगतान उनके जन्म के क्रम में किया जाए और उनमें से छोटा बच्चा, तब तक कुटुम्ब-पेंशन का हक़दार नहीं माना जाए जब तक कि उससे ठीक पहले का बड़ा बच्चा कुटुम्ब-पेंशन प्राप्त करने का भुगतान किए जाने का अपात्र नहीं हो जाए :

परन्तु यह कि जिन मामलों में कुटुम्ब-पेंशन, जुड़वाँ बच्चों को देय हो, उनमें इस पेंशन का भुगतान ऐसे बच्चों को नियम 22ख के उप नियम (4) के खण्ड (घ) में बताए गए तरीके से किया जाए";

(छ) उप नियम 11 में, खण्ड (iii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(iv) जब कभी, नियम 22 ख के उप-नियम (3) के परंतुक में उल्लिखित ऐसी अशक्तता किसी बच्चे में अपने आप दिखाई दे जाए, जो उसे अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ बना दे तो कम से कम सिविल सर्जन के रैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए डॉक्टरी प्रमाण-पत्र द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित यह तथ्य सेवा के सदस्य द्वारा अथवा नामांकित व्यक्ति द्वारा सरकार की जानकारी में ला दिया जाए। जब कभी कुटुम्ब-पेंशन का दावा किया जाए तो, बच्चे के कानूनी संरक्षक को कम से कम सिविल सर्जन के रैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए, नए डॉक्टरी प्रमाण-पत्र द्वारा प्रमाणित इस आशय का एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाए कि बच्चा अभी भी नि:शक्तता से ग्रस्त है";

(ज) उप नियम (12) में, खण्ड (ii) को निम्नलिखित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :—

"इस नियम के अनुसार देय कुटुम्ब-पेंशन उस व्यक्ति को नहीं दी जाए जो पहले से ही अन्य कोई कुटुम्ब-पेंशन ले रहा हो अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम अथवा किसी स्वायत्त निकाय अथवा किसी स्थानीय निधि द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कुटुम्ब-पेंशन प्राप्त करने का पात्र हो :

परन्तु यह कि इस नियम के अनुसार, कुटुम्ब-पेंशन प्राप्त करने का अन्यथा पात्र कोई, व्यक्ति इस नियम के अनुसार तब कुटुम्ब-पेंशन प्राप्त करने का

विकल्प चुन सकता है जबकि वह उसे किसी अन्य स्रोत से देय पेंशन लेना छोड़ दे ;

(झ) उप-नियम 12 में, खण्ड (ii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(iii) सेवा के किसी सदस्य की सेवारत रहने के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में, इस नियम के अनुसार कुटुम्ब-पेंशन प्राप्त करने के पात्र किसी व्यक्ति पर सेवा के किसी सदस्य की हत्या करने के अपराध अथवा ऐसा अपराध करने के प्रति दुष्प्रेरित करने का आरोप लग जाए तो ऐसे व्यक्ति का कुटुम्ब-पेंशन प्राप्त करने का दावा अन्य पात्र सदस्य अथवा सदस्यों के दावे सहित उसके विरुद्ध शुरू की गई दांडिक कार्यवाही के बारे में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने तक स्थगित रखा जाए ;

(iv) यदि खण्ड (iii) में उल्लिखित दांडिक कार्यवाही के बारे में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिए जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति :—

(i) सेवा के किसी सदस्य की हत्या करने अथवा हत्या के प्रति दुष्प्रेरित करने का दोषी सिद्ध कर दिया जाए तो ऐसा व्यक्ति कुटुम्ब-पेंशन प्राप्त करने से वारित कर दिया जाए तथा यह पेंशन, सेवा के सदस्य की मृत्यु की तारीख से परिवार के अन्य पात्र सदस्य को दे दी जाए;

(ii) सेवा के सदस्य की हत्या करने अथवा हत्या करने के प्रति दुष्प्रेरित करने के आरोप से मुक्त कर दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति को सेवा के सदस्य की मृत्यु की तारीख से कुटुम्ब-पेंशन दे दी जाए;

(v) खण्ड (iii) और खण्ड (iv) में किए गए प्रावधान, उस मामले में भी लागू होंगे जिसमें कुटुम्ब पेंशन, सेवा के किसी सदस्य की सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु होने पर देय हो।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

नियम 19खख की टिप्पणी 4 के प्रावधान इस कारण से पूर्व प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं कि ये प्रावधान उसी तारीख से केन्द्रीय सिविल सेवाओं पर लागू हैं। यह प्रमाणित किया जाता है कि इन प्रावधानों को पूर्व प्रभाव से लागू किए जाने से किसी भी अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[फा. सं. 25011/6/2000-अ.भा.से.-II]

संगीता सिंह, निदेशक (सेवाएं)

पाद टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 18-8-1958 की अधिसूचना संख्या 728 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे। ये नियम बाद में, निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए।

क्र. सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख
1.	526	4-9-64
2.	527	3-4-65
3.	528	3-4-65
4.	529	3-4-65
5.	572	17-4-65
6.	215	12-2-65
7.	1915	17-2-66
8.	590	3-3-68
9.	687	6-7-74
10.	755	2-7-74
11.	946	7-9-74
12.	27(अ)	24-1-75
13.	724	14-6-75
14.	2264	23-8-75
15.	2635	8-11-75
16.	2030	20-12-75
17.	128	31-1-76
18.	196	14-2-76
19.	316	6-3-76
20.	504	10-4-76
21.	758	5-6-76
22.	757	5-6-76
23.	1182	14-8-76
24.	1765	25-12-76
25.	579	7-5-77
26.	830	2-7-77
27.	831	2-7-77
28.	1598	26-11-77
29.	1700	24-12-77
30.	252	18-2-78
31.	253	18-2-78
32.	460	8-4-78
33.	924	22-7-78
34.	922	22-7-78
35.	214	2-1-79
36.	161	3-2-79
37.	373	3-2-79
38.	1151	15-9-79
39.	1291	22-10-79
40.	512	10-5-80

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख
41.	545	17-5-80
42.	546	17-5-80
43.	978	27-9-80
44.	248	7-3-81
45.	276	14-3-81
46.	705	1-8-81
47.	293	9-1-83
48.	557	3-7-83
49.	712	1-10-83
50.	33	21-1-84
51.	559	15-6-85
52.	813	31-8-85
53.	275	22-5-87
54.	343	3-4-88
55.	567	16-7-88
56.	91	25-2-89
57.	420	21-2-90
58.	101	16-2-91
59.	2890	23-11-91
60.	308	19-6-93
61.	271	6-7-96
62.	717(अ)	19-12-97
63.	718(अ)	19-12-97
64.	249(अ)	13-5-98
65.	252(अ)	18-5-98
66.	259(अ)	22-5-98
67.	548(अ)	31-8-98
68.	719(अ)	7-12-98
69.	35(अ)	14-1-99
70.	702(अ)	1-9-2000
71.	355(अ)	14-5-2001
72.	524(अ)	11-7-2001
73.	49(अ)	18-1-2002

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2003

G.S.R. 385(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (1A) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Amendment Rules, 2003.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 6, in sub-rule (1), in Note 1, for the words, "rupees three hundred and seventy five", the words "rupees one thousand two hundred seventy five" shall be substituted.

3. In the said rules, in the proviso to sub-rule (1) of rule 9, for the words "scientific and technical studies", the words "higher studies in the field of science, technology, finance, economics, law or other social sciences" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 19BB,—

(i) In clause (a), for the figures "12000", the words "twenty five thousand" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the figures "30000", the words "sixty thousand" shall be substituted;

(iii) after note 3, the following note shall be deemed to have inserted with effect from the 30th day of May, 2000, namely:—

"Note 4. In the case of a member who died before the 30th day of May, 2000, the rate of amount as specified in conditions (a) and (b) above, before the commencement of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Amendment Rules, 2003, shall be applicable."

5. In the said rules, in rule 22B, in sub-rule (3),

(A) for clause (b) of the proviso, the following clause shall be substituted, namely :—

"(b)(i) if there are more than one such children suffering from disorder or disability of mind, or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them will get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible;

(b) (ii) if the family pension is payable to twin children, it shall be paid to such children in the manner specified in clause(d) of sub-rule (4) of rule 22B";

(B) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely :—

"(f) in the case of a child having disability of mind, the family pension shall be paid to the person nominated by the member of the service and in case of absence of any nomination, to the person nominated by the spouse of member of the service."

(C) in sub-rule 4, in clause (a), in item (ii), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that if the widow is not survived by any child, her share of family pension shall not lapse but shall be payable to the other widows in equal shares or if there is one such other widow, in full, to her."

(D) in sub-rule (4), after caluse (b), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to the child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is one widow or child, in full, to such widow or child."

(E) in sub-rule 4, after clause (b), the following clauses shall be inserted, nemely:—

"(c) where the deceased member of the service is survived by a widow but has left behind an eligible child or eligible children from a divorced wife or wives the eligible child or children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received at the time of death of the member of the service had she not been so divorced:

Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows and to the other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child";

"(d) where the family pension is payable to twin children, it shall be paid to such children in equal shares:

Provided that when one such child ceases to be eligible, his or her share shall revert to the other child and when both of them cease to be eligible, the family pension shall be payable to the next eligible single child or twin children."

(F) in sub-rule (5), for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(iii) family pension to the children shall be payable in the order of their birth and the younger of them will not be eligible for family pension unless the elder next above him or her has become ineligible for grant of family pension :

Provided that where the family pension is payable to twin children, it shall be paid to such children in the manner specified in clause (d) of sub-rule (4) of rule 22B."

(G) in sub-rule 11, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(iv) As and when the disability referred to in the proviso to sub-rule (3) of rule 22B manifests itself in a child which makes him or her unable to earn his or her livelihood, the fact duly supported by a medical certificate from a Medical Officer not below the rank of Civil Surgeon shall be brought to the notice of the Government by the member of the service or by the nominee. As and when the claim for family pension is filed, the legal guardian of the child should make an application supported by a fresh medical certificate from a Medical Officer not below the rank of Civil Surgeon, that the child still suffers from the disability";

(H) in sub-rule (12), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

"Family pension admissible under this rule shall not be granted to a person who is already in receipt of another family pension or is eligible therefore under the rules, made by the Central Government or a State Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or local fund under the Central or a State Government :

Provided that a person who is otherwise eligible for family pension under this rule may opt to receive family pension under this rule if he foregoes family pension admissible from any other source";

(I) in sub-rule 12, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(iii) if a person, who is the event of death of a member of the service while in service, is eligible to receive family pension under this rule, is charged with the offence of the murder of the member of the service or

for abetting in the commission of such an offence, the claim of such a person, including other eligible member or members of the family to receive the family pension, shall remain suspended till the judgement by the competent court about the criminal proceedings instituted against him or her;

(iv) If on the judgement about the criminal proceedings referred to in clause (iii), the person concerned—

(i) is convicted for the murder or abetting in the murder of the member of the service, such a person shall be debarred from receiving the family pension which shall be payable to other eligible member of the family, from the date of death of the member of the service;

(ii) is acquitted of the charge of murder or abetting in the murder of the member of the service, the family pension shall be payable to such a person from date of death of the member of the service;

(v) the provisions of clause (iii) and clause (iv) shall also apply in the case of the family pension becoming payable on the death of a member of the service after his retirement."

Explanatory Memorandum :

The provisions of Note 4 to Rule 19BB are given retrospective effect for the reasons that the same is applicable to the Central Civil Services with effect from that date. It is certified that no officer is likely to be adversely affected by the retrospective effect to these provisions.

[F. No. 25011/6/2000-AIS. II]

SANGEETA SINGH, Director (S)

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. 728 dated 18-8-1958 (Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i). They have been subsequently amended by the following notifications.

Sl. No.	GSR No.	Date
1.	526	4-9-64
2.	527	3-4-65
3.	528	3-4-65
4.	529	3-4-65
5.	572	17-4-65
6.	215	12-2-65
7.	1915	17-2-66
8.	590	3-3-68
9.	687	6-7-74
10.	755	2-7-74
11.	946	7-9-74
12.	27(E)	24-1-75
13.	724	14-6-75.
14.	2264	23-8-75
15.	2635	8-11-75
16.	2030	20-12-75
17.	128	31-1-76
18.	196	14-2-76
19.	316	6-3-76
20.	504	10-4-76
21.	758	5-6-76
22.	757	5-6-76
23.	1182	14-8-76
24.	1765	25-12-76
25.	579	7-5-77
26.	830	2-7-77
27.	831	2-7-77
28.	1598	26-11-77
29.	1700	24-12-77
30.	252	18-2-78
31.	253	18-2-78
32.	460	8-4-78
33.	924	22-7-78
34.	922	22-7-78
35.	214	2-1-79
36.	161	3-2-79
37.	373	3-2-79
38.	1151	15-9-79
39.	1291	22-10-79
40.	512	10-5-80
41.	545	17-5-80
42.	546	17-5-80
43.	978	27-9-80
44.	248	7-3-81

Sl. No.	GSR No.	Date
45.	276	14-3-81
46.	705	1-8-81
47.	293	9-1-83
48.	557	3-7-83
49.	712	1-10-83
50.	33	21-1-84
51.	559	15-6-85
52.	813	31-8-85
53.	275	22-5-87
54.	343	3-4-88
55.	567	16-7-88
56.	91	25-2-89
57.	420	21-2-90
58.	101	16-2-91
59.	2890	23-11-91
60.	308	19-6-93
61.	271	6-7-96
62.	717(E)	19-12-97
63.	718(E)	19-12-97
64.	249(E)	13-5-98
65.	252(E)	18-5-98
66.	259(E)	22-5-98
67.	548(E)	31-8-98
68.	719(E)	7-12-98
69.	35(E)	14-1-99
70.	702(E)	1-9-2000
71.	355(E)	14-5-2001
72.	524(E)	11-7-2001
73.	49(E)	18-1-2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.